

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/34/2018/Vol-I/951

Date: 20th February 2024

Notification - 28 /2024

The Executive Council in its 44th meeting held on 27th December 2023, on the recommendation of the Academic Council, approved the following Regulations based on the National Education Policy 2020 as enclosed herewith:

- RE-13: Regulations for the Implementation of MOOCs through SWAYAM
RE-14: Regulations for implementation of Multiple Entry and Exit
RE-15: Regulations for operationalizing Academic Bank of Credits
RE-16: Regulations on Internationalization of Sikkim University
RE-17: Regulations for engaging Professors of Practice

(Prof. Laxuman Sharma)
Registrar (I/C)

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. Deans of Schools of Studies
7. Principals of all the Affiliated Colleges
8. Dean, Students' Welfare
9. Heads/In-charge(s) of all Departments
10. Joint Registrar (Academic)
11. System Management for uploading on the website
12. Office Copy
13. Guard file

कुलमचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/34/2018/Vol-I/951

दिनांक: 20 फरवरी 2024

अधिसूचना -/ २४ | 2024

दिनांक 27 दिसंबर 2023 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 44वीं बैठक में शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर निम्नलिखित विनियमों को नीचे संलग्न किए जाने के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है :

- आरई-13 : स्वयम के माध्यम से व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (MOOCs) के कार्यान्वयन के लिए विनियम
- आरई-14 : एकाधिक प्रवेश और निकास के कार्यान्वयन के लिए विनियम
- आरई-15 : शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संचालन के लिए विनियम
- आरई-16 : सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर विनियम
- आरई-17 : प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति के लिए विनियम

सिक्किम विश्वविद्यालय
गंगटोक, सिक्किम, भारत
दिनांक: 20 फरवरी 2024

(प्रो. लक्ष्मण शर्मा)
कुलसचिव (प्रभारी)

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य
8. छात्र कल्याण डीन
9. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
10. संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक)
11. सिस्टम मैनेजमेंट - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
12. कार्यालय प्रति
13. सुरक्षा फाइल

कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY